

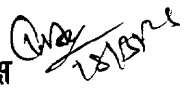
## कार्यालय केन्द्रीय नजारत सिविल कोर्ट बलिया ।

### नीलामी नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय परिसर बलिया में स्थित 03 अदद पूड़ी मिठाई चाय नमकीन की दुकान, 03 अदद फोटोस्टेट की दुकान, 01 अदद सल्लू की दुकान, 01 भूजा दाना की दुकान तथा 01 अदद निगेटिव से फोटो बनाने की दुकान की नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 01।4।26 से 31।3।27 तक के लिये किया जाना है । उक्त दुकानों सरकारी धनराशि की बोली की धनराशि दुकान के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में नीलामी की र्थ नराशि में 10% वृद्धि करके सरकारी धनराशि नियत की जाती है । उक्त सभी दुकानों की नीलामी हेतु दिनांक 25।3।26 की तिथि नियत की जाती । नीलामी दस कक्षीय न्यायालय भवन के केन्द्रीय सभागार कक्ष में सायं 4.00 बजे से खुली बोली के आधार पर की जायेगी । अतएव जिन महानुभाव को उक्त दुकानों की नीलामी लेनी हो वह नियत दिनांक 25।3।2026 को केन्द्रीय सभागार कक्ष में समय से उपस्थित आकर नीलामी में भाग लेकर नीलामी ले सकते हैं ।

### बोली लगाने की शर्तें

- 1 उपरोक्त वर्णित दुकानों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 01।04।26 से 31।3।27 के लिये की जानी है ।
- 2 प्रत्येक बोलीकर्ता को जमानत धनराशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 के नीलामी धनराशि का 1/4 भाग वनौ जमानत बोली लगाने हेतु जमा करना होगा ।
- 3 जिस व्यक्ति की बोली सबसे अधिक होगी नीलामी की कार्यवाही उसके पक्ष में सम्पादित की जायेगी ।
- 4 प्रत्येक बोली कर्ता अपने 2 बोली से बाध्य होगा । भले ही वह ऊँची या नीची हो । यह भली भाँति समझना चाहिए कि नीलामी की राशि की माफी पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकता है ।
- 5 प्रत्येक बोली कर्ता अपने अपने आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा मूल साथ लाना होगा ।
- 6 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं तथा अपरिहार्य परिस्थिति में दुकान का स्थान बदल सकते हैं । इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा ।
- 7 नीलाम प्राप्तकर्ता को नीलाम की धनराशि 4 बराबर किश्तों में पहली किश्त माह अप्रैल-2026, दूसरी किश्त माह जुलाई, तीसरी किश्त माह अक्टूबर तथा चौथी किश्त माह जनवरी 2027 में जमा करना होगा । कोई भी धनराशि वकाया रह जाने पर उसकी वसूली भू राजस्व के वकाये के रूप में की जायेगी ।

अध्यक्ष 

नीलाम समिति / अपर जिला जज  
कोर्ट सं० 1 बलिया ।

### प्रतिलिपि निम्नांकित स्थानों पर चस्पा किये जाने हेतु

- 1 माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 2 जिलाधिकारी बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 3 जिला पंचायत परिषद / नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 4 लो०नि०वि० बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 5 जिला जज बलिया के बक्सईड पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 6 स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु ।

अध्यक्ष 

नीलाम समिति / अपर जिला जज  
कोर्ट सं० 1 बलिया ।